षष्ठम् माला, खंड I, अंक 8, सोमवार 4 अप्रैल 1977/14 चैत्र, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. I, No. 8, Monday, April 4, 1977/Chaitra 14, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र]
[First Session]

सत्यमेव जयते

[खंड I में अंक 1 से 11 तक हैं]
[Vol. I contains Nos. 1 to 11]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, सोमवार, 4 अप्रैल, 1977/14 चैत्र, 1899 (शक)

No. 8, Monday, April 4, 1977/Chaitra 14, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
ट्यूनीशिया की नेशनल एसेम्वली के प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट का स्वागत	Welcome to the President and Vice-President of the National Assembly of Tunisia . .	1
शपथ लेने वाले सदस्य	Members Sworn . . .	1
प्रश्न का मौखिक उत्तर	ORAL ANSWER TO QUESTION	2—6
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	Short Notice Question No. 2	
सभा का कार्य	Business of House . . .	6—7
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	7—12
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of urgent public importance .	12—13
31 मार्च, 1977 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रधान मंत्री द्वारा महिला प्रधान मंत्री के बारे में की गई कथित टिप्पणी का समाचार	News Item in the Times of India dated 31-3-77 re. alleged remarks by P.M. in respect of women as Prime Ministers .	
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
नियम 377 के अधीन मामले के बारे में	Re. Matter Under Rule 377	13
पैट्रोलियम पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक—	Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill . . .	14
पुरःस्थापित	Introduced	
पेट्रोलियम पाइप लाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User inland Ordinance .	14—15
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	
पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण (चण्डीगढ़) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	East Punjab Urban Rent Restriction (Chandigarh Amendment) Bill—Introduced .	15
पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण (चण्डीगढ़) संशोधन अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. East Punjab Urban Rent Restriction (Chandigarh Amendment) Ordinance . .	15
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	

बिषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित	Prevention of Publication or Objectionable Matter (Repeal) Bill—Introduced . . .	15—16
संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक—पुरःस्थापित	Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Bill—Introduced	16
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the Address by the Vice-President Acting as President	16—43
श्री हरि विष्णु कामथ	Shri Hari Vishnu Kamath	16—17
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	17
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	18—19
श्री यज्ञ दत्त शर्मा	Shri Yagya Datt Sharma	19
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	19—20
श्री राम जेठमलानी	Shri Ram Jathmalani	20—23
श्री पी० के० कोडियन	Shri P. K. Kodiyan	23—24
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	25
श्री एडुआरडो फ्लेरो	Shri Eduardo Faleiro	25—26
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Ferrnandes	26—27
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedbrata Barua	27—29
प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना	Prof. Shibbanlal Saksena	29—30
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri. S. D. Somasundaram	30
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	30—31
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash	31—32
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	32—34
श्री अशोक कृष्ण दत्त	Shri Ashok Krishna Dutt	34—36
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	36
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman	36—37
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty	37—39
श्री कुमरी आन्थन	Shri Kumari Ananthan	39—41
श्री बी० के० नायर	Shri B. K. Nayar	41—42
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Viswanathan	42—43

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 4 अप्रैल, 1977/14 चैत्र, 1899 (शक)

Monday, April 4, 1977/Chaitra 14, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ट्यूनीशिा की नेशनल एसेम्बली के प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट का स्वागत

WELCOME TO THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF TUNISIA

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मुझे एक जरूरी घोषणा करनी है ।

म अपनी और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से ट्यूनीशिया की नेशनल एसेम्बली के प्रेसीडेंट डा० एस० मोकद्दम और वाइस प्रेसीडेंट श्री जोहीर फेतही का स्वागत करता हूं । ये सम्माननीय अतिथि भारत की यात्रा पर पधारे हैं ।

वे आज प्रातः पधारे हैं और 7 अप्रैल, तक भारत में रहेंगे । वे विशिष्ट कक्ष में बैठे हैं । हम उनकी सुखद और लाभकारी यात्रा की कामना करते हैं । उनके माध्यम से हम ट्यूनीशिया की संसद्, सरकार और जनता को बधाई देते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं ।

शपथ लेने वाले सदस्य

MEMBERS SWORN

श्री विनोदभाई बी० सेठ (जामनगर)
श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबंदर)
श्री मोतीभाई आर० चौधरी (बनसकंठा)
श्री वी० पी० नायक (वाशिम)

प्रश्न का मौखिक उत्तर

ORAL ANSWER TO QUESTION

भारतीय चाय निगम की मार्च, 1977 के मध्य तक की कार्य कुशलता

2. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय निगम की कार्यकुशलता में तेजी से गिरावट आ रही है और क्या इस वर्ष इसे हानि होने की संभावना है ;

(ख) हाल में कितने महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया गया है और उनमें से कितनों को चाय के बारे में जानकारी है ;

(ग) कितने प्रबन्ध प्रशिक्षार्थियों को भर्ती किया गया है और ये नियुक्तियां किस प्रकार की गई हैं ; और

(घ) इस निगम के अधिकारी कितनी बार विदेशों में दौरों पर गये और उन पर कुल कितना खर्च आया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं । 1975-76 के दौरान कम्पनी ने 24.44 लाख रु० का निबल लाभ अर्जित किया तथा 1976-77 के लिए 30 लाख रु० का निबल लाभ होने का अनुमान है । कुल कारोबार का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

1974-75 — 136.00 लाख रु०

1975-76 — 341.00 लाख रु०

1976-77 — 680.80 लाख रु० (प्रारम्भिक प्राक्कलन)

1977-78 — 1150.00 लाख रुपये (योजनाबद्ध)

(ख) पिछले 12 महीनों के दौरान वरिष्ठ स्तर के निम्नोक्त पद सृजित किये गये :

1 पद वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी का 2000–2500 रु० के ग्रेड में ।

1 पद बिजीटिंग एजेंट (चाय बागान) का 1500–2000 रु० के ग्रेड में ।

ये दोनों पद अभी तक नहीं भरे गये हैं ।

7 पद 1100—1600 रु० के ग्रेड में ।

ये सभी पद भर लिये गये हैं ।

इनमें से 4 पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों अर्थात् 3 चाय एस्टेटों के मैनेजरों तथा चाय सलाहकार के पद पर काम करने वाले व्यक्ति के पास चाय के बारे में 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है ।

सृजित किये गये तथा भरे गये 3 अन्य पद शाखा प्रबन्धकों के प्रशासनिक पद हैं । इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास प्रशासन सम्बन्धी अनुभव है।

(ग) प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये गये थे । पांच प्रशिक्षणार्थी प्रवरण समितियों की सिफारिशों के आधार पर, जिन्होंने प्रत्याशियों का इन्टरव्यू लिया था, भर्ती किये गये थे और एक प्रशिक्षणार्थी, जो कि पब्लिक टी वेयरहाउस में प्रशिक्षणार्थी लेखापाल था, प्रबन्ध प्रशिक्षण योजना में खपा लिया गया था ।

(घ) 1976-77 के दौरान भारतीय चाय व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशों के कुल 11 व्यापार दौरे किये गय। इनमें 2.80 लाख रु० (लगभग) खर्च हुए और लगभग 30 करोड़ रु० का कारोबार प्राप्त किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वाणिज्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि भारत से निर्यात की जाने वाली चाय का 33 प्रतिशत भाग बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में है और भारत में चाय की कीमतों में 33 से 35 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है जिसमें गरीब उपभोक्ता को बहुत धक्का लगा ह। इस का कारण पुराने सत्ताधारी दल का चुनाव कार्यों के लिए इन निगमों से भारी धनराशि प्राप्त करना है। मुझे जानकारी है कि एक सेमिनार में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने डंकन ब्रदर्ज और आर० पी० गोयंका ब्रदर्ज से 3 करोड़ रुपये लिए थे। मुझे इस बारे में विस्तृत जानकारी है। यह कम्पनी बड़ी मुश्किलों से लड़ते हुए बनी थी पर बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसे कार्य करने नहीं दिया। मुझ जानकारी दी जाये कि आपने जो चेयरमैन, प्रबन्धक-निदेशक, विपणन विकास अधिकारी और छः प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थी हाल ही में रखे हैं उनकी योग्यता और अनुभव क्या है ?

श्री मोहन धारिया : मैं भी सदस्य महोदय की तरह इस विषय में चिंतित हूं। हम चाय का निर्यात 270 करोड़ रुपये का करते थे लेकिन चाय निगम ने केवल 3 करोड़ रुपये का ही निर्यात किया है और वर्तमान परिस्थितियों में बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है। सदस्य महोदय ने इस निगम के गठन में बहुत हाथ बटाया है और यह निगम मुख्यतया चाय के पैकटों के निर्यात के लिए गठित किया गया था और 25 करोड़ रुपये के चाय पैकटों के निर्यात में से निगम ने पिछले 3 वर्षों के दौरान केवल 3 करोड़ रुपये का निर्यात किया। मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि आवश्कतानुसार निगम का पुनर्गठन किया जायेगा ताकि निगम को कार्यकुशल बनाया जा सके।

पिछले 1 वर्ष में चाय के उत्पादन में 170 लाख किलोग्राम की कमी हुई है। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में काफी का उत्पादन भी कम हुआ है। इन परिस्थितियों में चाय की मांग बढ़ गई है। मुझे पता नहीं कि कांग्रेस दल द्वारा चुनावों के लिए पैसा बटोरने के कारण चाय का मूल्य बढ़ा है पर पिछले मास के दौरान प्रति किलोग्राम 6 से 7 रुपये की वृद्धि हुई है और मूल्य अभी भी बढ़ रहे हैं। मैंने आज चाय उत्पादकों और चाय की डिब्बाबंदी करने वालों की बैठक बुलाई है। मूल्यों में वृद्धि को रोकने का मेरा मंत्रालय पूरा प्रयास करेगा और साथ ही देश में मूल्यों को कम करने का भी प्रयत्न होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1975-76 में उत्पादन 341 लाख रु० का हुआ और शुद्ध लाभ 24.4 लाख रुपये का था। मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार उत्पादन 1976-77 में बढ़कर दुगुना अर्थात् 680 लाख रुपये का हो गया लेकिन शुद्ध लाभ में केवल 30 लाख की ही वृद्धि हो पाई। मैं मंत्री जी से जानना चाहुंगा कि 1975-76 और 1976-77 में मंजूरी और खान-पान पर कितना-कितना व्यय हुआ और विदेशों में चाय के पैकेट का मूल्य क्या है और उन देशों में पिछली नीलामी के समय खुदरा मूल्य क्या थे ?

श्री मोहन धारिया : इस प्रश्न का सम्बन्ध मूल प्रश्न से नहीं है। इसलिए मुझे जानकारी एकत्र करने के लिए समय चाहिए। लेकिन यह निगम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना रहा है। इस समय चार बहुराष्ट्रीय निगम है या संयुक्त निगम हैं। वर्तमान परिस्थितियों में विदेशों में विपणन के लिए तंत्र बनाने के लिए कुछ व्यय तो करना होगा।

SHRI H. C. KACHWAI : Sir, many tea plantations are very old and their production is not upto expectations. They are running in loss. May I know whether any amount has been reserved for them ?

Secondly, whether such institutions have been set up in other countries as may popularise Indian tea abroad ? Whether it is a fact that inferior tea and tea of other countries is mixed with Indian tea. That is why Indian tea does not get enough popularity. If so, we should take steps in this direction.

SHRI MOHAN DHARIA : The Tea Board and the Tea Corporation are making efforts to increase the acreage of land under tea plantation. The per acre turn over of the increases by 2 per cent every year. But the expected land is not brought under tea plantation because no profit is earned for three years and about Rs. 20,000 to Rs. 25,000 have to be invested in these plantations. It will be our endeavour to give every possible incentive.

The tea corporation has been constituted to check adulteration of Indian tea and every possible effort will be made in this direction.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : माननीय मंत्री जी एक निष्पक्ष और ईमानदार आदमी हैं। क्या यह सच है कि चुनावों में जनता पार्ट को बहुराष्ट्रीय निगमों से 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की जायेगी ?

श्री मोहन धारिया : सारा देश जानता ह कि चुनावों से पहले कांग्रेस सत्ता में थी और विपक्षी दल के लोग 'आंसुकां' के अन्तर्गत जेलों में बंद थे। किसी को पता न था कि जनता लहर आयेगी। अत: पैसा यदि दिया गया होगा तो कांग्रेस दल को ही मिला होगा। जनता पार्टी को इस प्रकार का पैसा नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी पर पत्थर मारोगे तो आप को पत्थर खाने को भी तैयार रहना होगा।

श्रीमती विमा घोष गोस्वामी : क्या विचौलियों के माध्यम से भारी खरीद की गई है जो वाणिज्य उपसमिति के निर्णय के विरुद्ध है। यदि हां, तो कुल खरीद कितने की है ?

श्री मोहन धारिया : मेरी जानकारी के अनुसार काफी खरीद हुई है। और मैंने आज श्याम को बैठक बुलाई ह ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर चीजे देने सम्बन्धी बातचीत की जा सके।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Whether it is a fact that the quality of tea available to the Indian Consumer is deteriorating day by day but its price is increasing continuously ?

It has been stated in part (b) of the reply that many posts with weighty salaries have been created. May I know the need therefor particularly when the corporation handles a trade of only Rs. 3 crores ?

SHRI MOHAN DHARIA : I shall examine the adulteration aspect. There is possibility of it in tea packets. If the hon. Member has any details, he can furnish them to me. We have decided to double our exports. For this we shall need more officers and infrastructure is a necessity.

श्री सुगता राय : क्या सरकार पश्चिम बंगाल में दारजलिंग और दोआर में और रुग्ण चाय बागानों को अपने हाथ में लेगी और क्या डंकन ब्रदर्ज और जेम्ज फिनले जैसे स्वस्थ चाय बागानों को भी सरकारी अधिकार में ले लेगी।

श्री मोहन धारिया : इस समय उन्हें सरकारी अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन यदि कोई बागान मालिक शोषण करता है तो हम निश्चय ही आवश्यक उपाय करेंगे। पहले जो हो रहा था हम वैसा नहीं होने देंगे।

SHRI UGRA SEN : I want to draw the attention of the Hon. Minister towards the audit report regarding the business conducted with Tunisia during 1975-76. Will the Hon. Minister give his opinion thereon ?

श्री मोहन धारिया : मुझे इस बारे में विशेष पूर्व सूचना दी जाये।

SHRI LAXMI NARAIN PANDEYA : I had sought information about the agreement increased by Rs. 5 to7 in the market and the trend is expected to continue as per the agreement entered into by the previous Government in the second week of March last.

SHRI MOHAN DHARIA : I have told that I have convened a meeting this afternoon to check in the rise of price of tea. I am not speaking for foreign exchange, because we want foreign exchange. I am speaking of internal consumption.

SHRI LAXMI NARAIN PANDEY : I had sought information about the agreement resulting in the rise in prices.

SHRI MOHAN DHARIA : I have told that such agreements do not take place in black and white. There is nothing on record. But there must be some reason behind this increase.

श्री वंसत साठे : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आपने अच्छी योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति रखने की जो बात कही है तो क्या श्री ज्योतिर्मय बसु को वहां नियुक्त नहीं किया जा सकता। वह भी अच्छी चाय के पारखी हैं। चुनाव के लिए जो पैसा दिया गया ह क्या उसमें से कुछ सरकार को भी मिला है।

श्री मोहन धारिया : मैंने पहले ही पिछले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जनता पार्टी को कुछ नहीं मिला। प्रश्न की अन्य बात से सहमत हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु चाय के बढ़िया पारखी हैं और हम उनसे सहयोग लेंगे।

श्री आर० के० अमीन : क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि तीन महने से पहले-पहले निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की जायेगी। दूसरे क्या हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि हम परम्परागत रूप से चाय का निर्यात करते आ रहे हैं। सरकारी संस्थाओं की तो यह आदत है कि अनावश्यक रूप से व्यय करके काफी कुछ आयात किया जाता है। क्या आप चाय निगम की समीक्षा करके खर्चे की बर्बादी रोकेंगे ?

तीसरे क्या आप अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते में शामिल होने का विचार कर रहे हैं ताकि हमारे निर्यात से हमें अधिक कीमत मिल सके। इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मोहन धारिया : अब तक निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। अतः उस बारे में जांच की कोई जरूरत भी नहीं है।

जहां तक विशेषज्ञों का प्रश्न है देश में तथा देश से बाहर बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा निहित स्वार्थों के अपने विशेषज्ञ हैं। यदि हम अपने विशेषज्ञ चाहते हैं तो ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना होगा जो देश और समाज के प्रति वफादार हों। यह बात नितांत आवश्यक है।

देश के हित में निश्चय ही हमारा यह प्रयत्न होगा कि अपने माल के लिए अधिक निर्यात मूल्य प्राप्त किया जाये।

SHRI BALBIR SINGH : Sir, May. I know whether a high powered Commission will be appointed to enquire into the misdeeds so that proper action is taken in this regard ?

SHRI MOHAN DHARIA : I have stated that there is no charge of corruption against the Corporation.

SHRI BALBIR SINGH : The Hon Minister has said that "we shall not work as it happened in the past." So will you appoint a high powered Commission to enquire to the past misdeeds ?

SHRI MOHAN DHARIA : This Corporation came into existence in 1972 but no work has been done during these three years. Now we shall pick up. It shall be our endeavour to speed up the work. I think there is no need to appoint a high powered Commission.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : मैं पूछ सकता हूं कि भविष्य में चाय के बागानों को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कोई निरोधात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

श्री मोहन धारिया : हमारा प्रयास यही होगा।

सदन का कार्य

BUSINESS OF HOUSE

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : राष्ट्रपति अभिभाषण सम्बन्धी चर्चा पर अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि आज सभा 7 बजे अथवा 7-30 बजे शाम तक बैठे ताकि अधिकाधिक सदस्य चर्चा में भाग ले सके।

सरकार यह भी चाहती है कि सत्र का सारा काम 6 तारीख की शाम तक समाप्त हो जाये और न हो तो सभा 7 तारीख को भी बैठेगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य 5 या 10 मिनट से अधिक समय न लें तो अनेक सदस्य भाग ले सकेंगे। अतः हम 7 बजे शाम तक बैठेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 5 मिनट का समय बहुत कम है। इससे अच्छा तो यही होगा कि सत्रावधि बढ़ा दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा ने भी तो यही सुझाव दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने श्री टी० एन० कौल के विरुद्ध विशेषाधिकार के बारे में अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसमें अभी कुछ समय लगेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मार्डन बैंकरीज़ (इंडिया) नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) मार्डन बैंकरीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मार्डन बैंकरीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 31/77]

हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी नई दिल्ली,
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम नई दिल्ली, के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन
तमिलनाडु नगर तथा ग्राम आयोजना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें,
केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा
दिल्ली विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 32/77]

(तीन) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(चार) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 33/77]

(2) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की नियमावली के मुख्य खंड 5 के संशोधन सम्बन्धी विवरण ।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, के नई दिल्ली के अन्तर्नियमों के नियम 5 के संशोधन सम्बन्धी विवरण ।

(तीन) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण जिस में उपर्युक्त मद (एक) और (दो) के संशोधनों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया ये देखिये सं० एल० टी० 34/77]

(3) तमिलनाडु नगर तथा ग्राम आयोजना अधिनियम, 1971 की धारा 123 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) विस्तृत विकास योजना तैयार करना, प्रकाशित करना, तथा मंजूरी देना (मद्रास महानगरीय आयोजना क्षेत्र) नियम जो दिनांक 5 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1853 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) जी० ओ० एम० 1877 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) तमिलनाडु नगर तथा ग्राम आयोजना बोर्ड (बैठकों का संचालन) नियम, 1971 जो दिनांक 21 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 423 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) तमिलनाडु नगर तथा ग्राम आयोजना और विकास निधि नियम, 1976 जो दिनांक 26 जनवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 2486 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) तमिलनाडु नगर तथा ग्राम आयोजना बोर्ड (सदस्य की पदावधि, हटाया जाना तथा नैमित्तिक रिक्त स्थानों को भरना) नियम, 1976 जो दिनांक 9 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 2572 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त मद (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 35/77]

(5) दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली नगर कला आयोग (लेखे) नियम, 1976 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 31 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना) संशोधन नियम, 1977, जो दिनाँक 5 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 182 प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 36/77]

(6) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 1975-76 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 37/77]

(7) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 38/77]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का वर्ष 1973-74 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, तमिलनाडु मद्य निषेध अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, संग्रहालय अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चुन्दर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वर्ष 1973-74 के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी में संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 39/77]

(3) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मद्य निषेध अधिनियम, 1937 की धारा 54 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 299 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचरड सिप्रिट, मिथाइल अलकोहल और वार्निश (फ्रैन्च पोलिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० 302 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचरड सिप्रिट, मिथाइल अलकोहल और वार्निश (फ्रैन्च पोलिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) जी० ओ० एम० 303 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डिस्टिलरी नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) जी० ओ० एम० 304 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास शराब (लायसेंस और पर्मिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) जी० ओ० एम० 314 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास शराब

(लायसेंस और पर्मिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(छः) जी० ओ० एम० 319 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचरड सिप्रिट, मिथाइल अलकोहल और वार्निश (फ्रैंच पोलिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(सात) जी० ओ० एम० 322 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास शराब (लायसेंस और पर्मिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(आठ) जी० ओ० एम० 22 जो दिनांक 9 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास शराब (लाइसेंस और परमिट) नियम 1960 में कतिपय संशोधन किये ये हैं ।

(नौ) जी० ओ० एम० 45 जो दिनांक 9 मार्च, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचरड सिप्रिट, मिथाइल अलकोहल और वार्निश (फ्रैन्च पोलिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया ।

(4) उपर्युक्त मद (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए सं० एल० टी० 40/77]

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण* की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये सं० एल० टी० 41/77]

(6) भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय संग्रहालय भर्ती नियम, 1977 जो दिनांक 12 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 194 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1957 में प्रकाशित हुए थे ।

*प्रतिवेदन (अंग्रेजी संस्करण) 3 नवम्बर, 1976 को सभा पटल पर रखा गया ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये सं० एल० टी० 42/77]

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये सं० एल० टी० 43/77]

Administrative Report of LIC for 1975-76 with audited accounts and Notifications under Customs Act, 1962 and Central Excise Rules, 1944

THE MINISTER OF INDUSTRIES (SHRI BRIJ LAL VARMA) : On behalf of Shri H. M. Patel I beg to lay on the table :—

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India for the year ended the 31st March, 1976 along with the Audited Accounts, under section 29 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Laid on the table *See* Lt. No. 44/77.]

(2) A copy of Notification No. 41-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st April, 1977, under section 159 of the Customs Act, 1962 together with an Explanatory Memorandum.

[Laid on the table *See* Lt. No. 45/77.]

(3) A copy of Notification No. 48-Central Excise (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st April, 1977 issued under the Central Excise Rules, 1944 together with an Explanatory Memorandum.

[Laid on the table *See* Lt. No. 46/77.]

Notification under Industries (Development and Regulation) Act

THE MINISTER OF INDUSTRIES (SHRI BRIJ LAL VERMA) : I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 162(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 14th February, 1977, issued under sub-section (1) of section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Laid on the table *See* Lt. No. 47/77.]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

31 मार्च, 1977 के टाइम्ज आफ इण्डिया में प्रधान मंत्री द्वारा महिला प्रधान मंत्रियों के बारे में की गई कथित टिप्पणी का समाचार।

श्रीमती पार्वती-कृष्णन : प्रधान मंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य की प्रति मुझे अभी तक नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं । आप उन्हें सुनें और प्रश्न करें ।

श्री कल्याण सुन्दरम् : प्रक्रिया के अनुसार मंत्री के वक्तव्य की प्रति पहले ही बांटी जाती है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के ध्यानाकर्षण नोटिस के लिए इसे पहले बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है (**व्यवधान**)

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वकतव्य दें :

> "31 मार्च, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस आशय का समाचार कि प्रधान मंत्री ने, प्रधान मंत्रियों के रूप में महिलाओं के बारे में ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिनमें उनके बारे में अपमानजनक और अवांच्छनीय टिप्पणियां की गई हैं"

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आज जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, वह उस बारे में है, जो कि मैंने दो साल से अधिक समय पहले कहा था। मैं नहीं चाहता कि यह विवाद-ग्रस्त बात चलती रहे। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी बात हुई है और मुझे खेद है कि मैं इसका कारण बना हूं । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि भविष्य में इस तरह की बातें न हों, इसके लिये मैं सतर्क रहूंगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशाब्दी है और हमारे दुखी होने का यही कारण है । गांधीजी ने कहा था कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं महिलाओं का आदर माननीय सदस्य से अधिक करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले के बारे में

RE. MATTER UNDER RULE 377

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बार) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं । ये हर मामले पर नोटिस देते आ रहे हैं और मैं यदि हर नोटिस को स्वीकार करता जाऊं तो अन्य सदस्यों के लिए कोई समय ही नहीं रहेगा ।

श्री ज्योतिमय बसु : आपने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया इसीलिए मैंने नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया है ।

मध्यक्ष महोदय : यह ठीक है आप अभी अभी भी बोल चके हैं (**व्यवधान**) **श्री बीजू पटनायक ।**

पैट्रोलियम पाइपलाइनस (भूमि में उपयोगके अधिकारका अर्जन) संशोधन विधेयक

PETROLEUM PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND AMENDMENT BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री अण्णासाहिब गोर्टीडे (स्पंगली) : विधेयक से संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण अपूर्ण, दोषपूर्ण तथा गुमराह करने वाला है। इसमें पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन अध्यादेश 1977 के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विवरण में यह बात विशिष्ट रूप से नहीं कहीं गई है कि क्या इस विधेयक का उद्देश्य अध्यादेश का स्थान लेना है। अतः उद्देश्यों और कारणों के विवरण में परिवर्तन करने की नितांत आवश्यकता है।

श्री बीजू पटनायक : सभा में जो विधेयक पेश किया गया है उसका उद्देश्य पैट्रोलियम पाईपलाइन संशोधन अध्यादेश, 1977 का निरसन करना है। वास्तविकता यह है कि इस साधारण बात को उद्देश्यों और कारणों के विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में केवल यह बात उठाई गई है कि पुराने विधेयक के स्थान पर यह नया अधिनियम सभा में क्यों पेश किया गया है। देश में की गई कई खोजों के लिए इस अधिनियम में कुछ बातें जोड़ी गई हैं। अतः जो आपत्ति उठाई गई है, उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री बीजू पटनायक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

पैट्रोलियम पाइप लाइनस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* PETROLEUM PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) AMENDMENT ORDINANCE

इस्पात और खान मंत्री श्री बीजू पटनायक : मैं पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने

के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक

EAST PUNJAB URBAN RENT RESTRICTION (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री रविन्द्र वर्मा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण (चण्डीगढ़ संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* EAST PUNJAB URBAN RENT RESTRICTION (CHANDIGARH AMENDMENT) ORDINANCE

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं चौधरी चरण सिंह की ओर से पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण (चण्डीगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण निरसन विधेयक

PREVENTION OF OBJECTIONABLE MATTER (REPEAL) BILL

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं :

संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक

PARLIAMENTARY PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) BILL

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद के कार्यवाही-वृत्तान्तों के प्रकाशन का संरक्षण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संसद् के कार्यवाही-वृत्तान्तों के प्रकाशन का संरक्षण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

The motion was adopted

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

SHRI BALBIR SINGH (HOSHIARPUR) : Mr. Speaker, we do not get the papers laid on the Table. The papers laid on 1st have not yet been made available to us.

MR. SPEAKER : These are kept in the Library.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आम चुनाव ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है कि परमात्मा के यहां देर भले हो, अन्धेर नहीं है। आम चुनावों में चाण्डाल चौकड़ी जिसमें श्री बंशीलाल, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री संजय गांधी और श्री ओम मेहता और उनका नेतृत्व करने वाली स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे हमारे देश में एक अहिंसात्मक क्रान्ति ने जन्म लिया है, जिसे हम सब लोगों ने आगे बढ़ाना है। हमारे पास विश्राम के लिए समय नहीं है क्योंकि हमें इन लोगों द्वारा उत्पन्न दमन और आतंक के वातावरण को समाप्त करना है।

आतंक तथा अंधकार के उस शासन के दौरान अन्याय का बोलबाला रहा, जहां उच्च पदों पर कार्य कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया क्योंकि वे इन लोगों की इच्छानुसार कार्य नहीं करना चाहते थे।

इनमें से एक इस तरह का मामला एयर चीफ मार्शल, श्री पी० सी० लाल का है, जो कि इंडियन एयरलान्इस के चेयरमैन थे। श्री लाल इंडियन एयर लाइन्स के कुछ लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते थे जो कि इस चाण्डाल चौकड़ी के हाथों में कठपुतली थे। किन्तु एक दिन उन के स्थान पर कोई और बैठा देखा गया। उन्होंने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा उन्हें करना पड़ा। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त जयंती शिपिंग के डा० धर्म तेजा का मामला है। डा० धर्म तेजा की पत्नी को क्षमा क्यों किया गया। यह रहस्य की बात है क्योंकि जयंती शिपिंग मामले में वह भी सह-अपराधी थी। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

उस अंधकारमय काल के दौरान वंश परम्परा को चलाने का प्रयास किया गया। मुझे एक ऐसा उदाहरण याद है जबकि प्रथम लोक सभा के एक कवि सदस्य से नेहरू वंश के बारे में उसकी राय पूछी गई तो उसने तत्काल कहा कि यदि नेहरू ने कोई वंश रखने की कोशिश की तो वह शीघ्र मर जायेगा। यही बात इस वंश के साथ हुई है। हाल के चुनावों में उनकी वंश परम्परा समाप्त हो गई।

आम चुनावों में जो क्रान्ति पैदा हुई है उसको आगे बढ़ाने का हमारे सामने एक बहुत बड़ा काम है। हमारा काम यह है कि हम दृढ़ नैतिक तथा आर्थिक मूल्यों के आधार पर शान्तिपूर्ण तरीकों से सामाजिक आर्थिक क्रान्ति का निर्माण करें।

परसों श्री मिश्र ने मंत्रि-परिषद् की सलाह के बिना राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा की बात उठाई है। यदि यह बात सही है तो आपात स्थिति के दौरान जो कुछ किया गया है वह गैर-कानूनी है। आपात स्थिति के नाम पर जो कुछ किया गया है वह गैर-कानूनी और असंवैधानिक था। आपात स्थिति की उद्घोषणा ही अबैध थी। आपातस्थिति के दौरान जिन मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने ये सब काम किए उन पर न्यायालयों में मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

विपक्ष के नेता तथा अन्य वक्ताओं ने कहा है कि अब जो रहस्य खुल रहे हैं, उनसे देश की प्रतिष्ठा खराब होगी। जब अमरीका में वाटरगेट कांड का रहस्य खुला था तो डा० किसिंजर भी ऐसा ही कहा करते थे। किन्तु वाटरगेट कांड का रहस्य खुलने तथा श्री निक्सन के राष्ट्रपति पद से हट जाने का यह परिणाम निकला कि अमरीका की प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी तरह इस चौकड़ी की हरकतों तथा जन-विरोधी कार्य की पोल खुलने से भारत की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ेगी। जनता सरकार को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। जनता सरकार सामाजिक-एवं-आर्थिक क्रान्ति के प्रति वचनबद्ध है।

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

SHRI NATHU RAM MIRDHA (NAGAUR) : The Finance Minister has drawn a very dismal picture of the country's economy. His speech and attitude are very disappointing. After listening to him it appears as if nothing has been done in the country during the last 30 years and that the new Government will start from the zero point.

The Finance Minister has said that if there has been increased in food production, it is due to favourable weather. The members of the Janata Party will remember that at the time of Independence food production was 50 million tonnes which has today increased to 118 million tonnes All this increase is not due to favourable weather alone. There are many other factors responsible for it which should not be overlooked

Similarly, in the field of industry the growth has been quite substantial. But it is being said on behalf of the Janata Party that nothing has been achieved. This is not proper. If we have been defeated at the poll it is not because of our economic programmes. There are some other mistakes and our Prime Minister has admitted them. We are prepared to face any inquiry that is made in this regard and also the resulting punishment. But let not the new Government waste much time on such things.

The Acting President has said in his Address that we would be able to improve the living conditions of the people in the coming ten years and also reduce unemployment.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

That is also our objective. But how to achieve it is a big question. We should have a definite programme in this regard.

This National Commission on Agriculture has submitted a report consisting of 34 volumes. It is a document of welfare of 80 percent people of the country. Government should study this Report and initiate action on it. As regards the procurement price, at present the Government gave Rs. 102 to Rs. 105. This is not adequate. It will be better if Government pay more to the farmer.

So far as emergency is concerned. in his opinion it was necessary for the country in view of the atmosphere which was then prevailing in the schools, colleges and other spares. If emergency had not been declared the country would have suffered more.

Recently some dismissed railway employees have been reinstated. We have no objection to it. But it will have been better if a proper screening has been made before reinstating them. Otherwise, there is a danger of the reappearance of old indiscipline. This is something which requires serious consideration.

CHOWDHRY BALBIR SINGH (HOSHIARPUR) : It is said that there have been definite gains of emergency, but it is well known to everybody what kind of atrocities and excesses were committed during the period of emergency. It is also said that our country has made considerable progress and the balance of foreign exchange has increased. But the fact is that such persons as were all along condemned in this country went abroad, earned foreign exchange and remitted the amount to this country. The Janata Party has said in its manifesto that it will provide everybody with the right to work and if it does not, unemployment allowance will be given to the unemployed persons. I hope this commitment will be fulfilled. He has said that our exports increased very much. But they were the exports of raw materials and not of the finished goods. Thus the real wealth of the country has been drained out to foreign countries. Our country has been put to great loss by the export of Iron ore and coal and other raw materials.

There have been great deficiencies in the planning of steel plants of Bokaro and Durgapur as a result of which the country has to incur great loss. Our cost of steel production is much higher as compared with that of Japan.

They are talking of price-index. According to them the price-index has gone down. But only the prices of raw materials produced by farmers have come down. Infact the prices of other consumer goods have increased considerably. The method of functioning of the earstwhile Government was totally wrong.

The Government's assurance to conduct an enquiry into the Nagarwala case is welcome. But the Government should enquire into certain other scandals also. Then the Government should hold elections in States also with a view to forming new Governments for the purpose of giving better administration.

SHRI YAGYA DATT SHARMA (Gurdaspur) : Sir, I congratulate the Acting President fo rhis brief and compact Address. It has been said that there will be some scheme for a probe into the misdeeds of the previous Government. In this regard I suggest the constitution of Five Commissions for eastern, western, northern and central regions to look into the complaints of corruption region-wise. There is no doubt that corruption had very much increased in the country during the past regime. The national character had been spoiled.

Today we are face to face with the problem of poverty and unemployment. In order to tackle those problems effectively the planning should be village orientated. Village should be the focal point. We should formulate plans with a view to bringing about the all round development of villages. Then in the process of planning top most priority should be given to agricultural development. The farmer should be provided with modern agricultural implements, seeds and other inputs at subsidised rates. They should also be supplied the necessary consumer goods at cheaper price.

So far as the question of unemployment is concerned, we should plan for a decentralised economy and should go in far large scale production. It shall be better if shall industrial centres connected with agriculture are set up in a group of villages. Efforts should be made to avoid the retrenchment of labour. With a view to providing work for unemployed people Government should start the work of projects that have been pending so far. The work on Thien Dam should be immediately started.

The Bonus Act suspended by the previous Government should immediately be enforced and workers should be given their due bonus.

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के वक्तव्य से मैं पूर्णतया सहमत नहीं । यह सभी जानते हैं कि पिछले तीन दशकों में कांग्रेस देश को स्थायी सरकार प्रदान करने में सफल रही है। परन्तु आज यह कहना कि चुनाव से दो दलीय पद्धति की स्वस्थ परम्परा स्थापित हुई है, उद्देश्यपूरक नहीं है ।

कांग्रेस तो ऐसा संगठन है जिसका गांव गांव में अस्तित्व है । वह देश में राष्ट्रीय आकांक्षाओं के सामंजस्य का प्रतीक है । भले ही इसे एक या दो बार पराजय का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा तो समूचे देश में सुदृढ़ है । अब हम केन्द्र में पहली बार मिली जुली सरकार बनाने के बाद राजनीति पद्धति में एक नई प्रणाली पैदा कर रहे हैं । अतः कहना सही नहीं है कि हम दो दलीय प्रणाली का समारम्भ कर रहे हैं।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो सरकारें बदलती ही रहती हैं। केरल में प्रायः प्रत्येक दल के व्यक्ति मुख्य मंत्री रहे हैं। हमारे देश में बहुत गम्भीर और जटिल समस्याएं हैं।

पिछली सरकार ने जो कार्य किए हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आप हमारे बहुत से कार्यों की आलोचना करके उन्हें बदलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करते समय आप यह भी सोचें कि क्या पिछले शासन ने कुछ देश के हित के लिए भी किया है या नहीं। उन अच्छे कार्यों को जारी रखना उनके तथा देश के हित में ही होगा।

जिस बात को आप अच्छा न समझें उसे हटा दें लेकिन ऐसा करने से पहले यह देखा जाए कि वह देश हित में है या नहीं। पिछले 10 या 11 वर्षों में देश ने एक सीमा तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है और यहां अनुशासन आया है। आपात स्थिति से पहले बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी।

श्री समर गुह : ऐसा मत कहिए। एक व्यक्ति को बचाने के लिए आपात स्थिति लागू की गई थी। इस काल में इतने अधिक जुल्म हुए हैं कि कहा नहीं जा सकता।

डा० हेनरी आस्टिन : हो सकता है कि आपात स्थिति के दौरान कुछ ज्यादतियां हुई हों, अत्याचार हुए हों लेकिन उस समय व्याप्त परिस्थितियों से मुख नहीं मोड़ा जा सकता था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय देश को सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता थी। हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं। लाखों गरीब किसानों और भूमिहीनों को जमीन देना क्या राजनीतिक चाल थी।

देश में ठोस कार्य करने और उसके विकास के लिए हमें द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है। हमारे देश के विकास के लिए गांवों के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि नई सरकार भी इस ओर ध्यान देगी। मेरा सुझाव है कि अप्रयुक्त श्रम का प्रयोग राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक स्थागित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The LokSabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुये उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—Contd.

श्री राम जेठामलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने सदस्यों के लिए भाषण का समय बहुत कम कर दिया है। केवल पांच मिनट में मैं अपनी बात को गम्भीरतापूर्वक कैसे कह सकता हूं।

इंगलैण्ड में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद सम्बन्धी प्रस्ताव पर कम से कम 35 घंटे का समय दिया जाता है । हमारा देश तो इंगलैण्ड से आकार में काफी बड़ा है।

मैं अपने संशोधनों द्वारा ठोस सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन पेश करने का समय तो समाप्त हो गया है । आप केवल अपने संशोधनों के बारे में बोल सकते हैं।

श्री राम जेठामलानी : महोदय, यदि मुझे आश्वासन दिया जाए कि अपने संशोधनों में मैं जो बात कहना चाहता हूं, उन पर विचार किया जायेगा तो मैं अपने संशोधन वापस ले लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि 31 तारीख तक संशोधन पेश किए जा सकते हैं। अब तो आप उनके बारे में बोल सकते हो।

श्री राम जेठामलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव मेरा प्रथम संशोधन देश में न्यायिक स्वतन्त्रता तथा समानता बहाल करने के बारे में है । कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें न्यायिक स्वतन्त्रता को बहाल करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि भूतपूर्व सत्ताधारी दल ने वर्ष 1971 में ही देश में 'वचनबद्ध न्यायपालिका' का सिद्धांत लागू कर दिया था। हमने उस समय ही इसका विरोध आरम्भ कर दिया था क्योंकि हमें मालूम था कि इस के परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को आघात पहुंचेगा। उसी सरकार ने वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ कर एक कनिष्ट न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया । उस समय भी प्रधान मंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका की सुनवाई चल रही थी। और यह समझा जा रहा था कि सम्भवत: एक दिन यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही आ जाए। कुछ ही समय बाद यह संभावना एक सत्य के रूप में हमारे समक्ष आई। प्रधानमंत्री की चुनाव याचिका उसी 'वचनबद्ध' न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आई। अत: प्रधानमंत्री के मामले की सुनवाई उसी व्यक्ति ने की जिसे प्रधानमंत्री ने उस पद पर आसीन करते हुए अनेक पूर्व-स्थापित परम्पराओं को ताक पर रख दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार मैं किसी न्यायधीश के निर्णय के बारे में कुछ नहीं कह सकता। परन्तु अप्रैल, 1976 में उच्चतम न्यायालय ने जो यह निर्णय दिया कि आपात स्थिति के दौरान दिए गए बंदी आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती चाहे बंदी आदेश कितना ही दुर्भावनापूर्ण क्यों न हो, कितना शर्मनाक लगता है।

लन्दन में भारत के उच्चायुक्त श्री बी० के० नेहरू ने इसी वर्ष की 12 जनवरी को वहां के "दि लन्दन टाइम्ज" में छपे एक लेख में केशवानन्द भारती के मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गलत बतलाया । केशवानन्द भारती के मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद केवल अपने बहुमत के आधार पर लोकतन्त्र को अधिनायकवाद में नहीं बदल सकती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेश स्थित भारतीय उच्चायुक्तों को उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में

अपशब्द कहने का अधिकार है? मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रकार के व्यक्ति को वापिस बुला लेना चाहिए या इस सम्पूर्ण मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। इसी प्रकार जब ब्रिटेन के समाचारपत्रों में भारत में न्यायधीशों के तबादले का समाचार छपा तो उस समय भी इसी उच्चायुक्त ने लिखित बयान में उस समाचार का खंडन इंगलैण्ड में किया जबकि वास्तव में न्यायाधीशों की तबदीलियां की गई। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक 'बचनबद्ध न्यायाधीश' पदों पर आसीन रहेंगे तब तक न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा शुद्धता को बहाल नहीं किया जा सकता। अतः मेरा निवेदन है कि अभिभाषण में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था।

मैंने अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो दूसरा संशोधन दिया है वह भी न्यायपालिका से ही सम्बद्ध है। जिन न्यायाधीशों ने निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र ढंग से सरकार के विरुद्ध भी अपने निर्णय देने में हिचकिचाहट नहीं की थी, उन्हें सरकार ने आपात स्थिति के दौरान देश के एक कोने से उठा कर दूसरे में तबदील कर दिया था। बम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को केवल इस लिए तबदील कर दिया गया कि उसने भारत रक्षा नियमों के अधीन बंदी बनाए गए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक सदस्य को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए सत्ताधारी दल ने वकीलों की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी। इसके पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने संसद में अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत किया। नए संशोधनों के अनुसार बार काऊंसिल आफ इण्डिया के चेयरमैन तथा स्टेट बार काउंसिलों के चैयरमैनों के पदों के लिए होने वाले निर्वाचनों को समाप्त कर दिया गया। हमें इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

मेरे तीसरे संशोधन का सम्बन्ध भी न्यायपालिका से ही है। हाल ही में महान्यायवादी ने जो भूमिका निभाई है उससे बार काउंसिल की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई है। यह सौभाग्य की बात है कि अब उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है अतः मैं उसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहूंगा। हां मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए हमें एक विशेष कसौटी अपनानी चाहिए। योग्यता के साथ-साथ हमें ऐसे लोगों को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए जिनमें नैतिक साहस भी हो तथा जो सच्चाई को स्पष्ट रूप से कह सकने की सामर्थ्य तथा साहस रखते हों।

मेरा चौथा संशोधन बिना मुकदमा चलाये बंदी बनाए रखने के नियम के बारे में है। यह ठीक है कि अब आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंदी बनाए गए सभी लोगों को रिहा किया जा चुका है परन्तु प्रश्न यह है कि बिना मुकदमा चलाए तथा बिना जुर्म बताए भला किसी को बंदी बनाए रखना कहां तक न्यायोचित है? वैसे जब आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में चर्चा हो रही थी तो उस समय यह कहा गया था कि 'मीसा' का उपयोग राजनैतिक व्यक्तियों पर नहीं किया जायेगा परन्तु इसके बावजूद भी ऐसा किया गया। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर व्यापार निरोध अधिनियम का भी दुरुपयोग किया। इस का उपयोग भी तस्करों के

साथ-साथ राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया। अतः इसके सम्बन्ध में भी अभिभाषण में उल्लेख किया जाना चाहिए था कि भविष्य में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी। इस देश में न्याय के समक्ष सभी को समानता प्रदान करने का नियम फिर से अपना उचित स्थान प्राप्त करे, ऐसा करने के लिए हमारी सरकार को अवश्य ही कुछ करना चाहिए।

मेरा अगला संशोधन काफी महत्त्वपूर्ण है परन्तु मैं उसके बारे में कुछ न कहते हुए अपने संशोधन संख्या 129 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस संशोधन में इस बात के लिए खेद व्यक्त किया गया है कि अभिभाषण में विधान मण्डलों के विशेषाधिकारों को नियमित करने तथा उनके अधिनायकवाद को समाप्त करने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अपने अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कई बार बहुमत भी भारी भूल कर सकता है। अतः हमें संसद के विशेषाधिकारों को भी कानूनी दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

मुझे खेद है कि इस समय सदन में विपक्ष के नेता श्री चव्हाण उपस्थित नहीं हैं। उनका मत है कि 42वां संशोधन ठीक है तथा उन्होंने सदन में उसकी वकालत भी की है। परन्तु वस्तुस्थिति इससे पूर्णतया भिन्न है। तथ्य तो यह है कि 42वां संशोधन एक घृणित विधान है तथा उसके अन्तर्गत संसद के विशेषाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। यह बहुत ही घातक उपबन्ध है, मैं समझता हूं कि जनता पार्टी का पहला कर्त्तव्य जनता और न्यायाधीशों, जनता और संसद तथा संसद और न्यायाधीशों के बीच सन्तुलन स्थापित करने के अपने वायदों को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

मेरा अन्तिम संशोधन देश की विदेश नीति से सम्बद्ध है। हम अपने लोकतन्त्र में विरोधी दल के नेता को उपयुक्त महत्व देना चाहते हैं। परन्तु उन्होंने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में की एक हलका फुलका दस्तावेज कहा है, वह उपयुक्त नहीं है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि विश्व में जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, वह हल्की फुल्की ही होती हैं तथा उनका मूल्यांकन केवल भार के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया है कि यह देश और इसकी सरकार मानवीय अधिकारों की ही रक्षा नहीं करेगी अपितु केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी मानवीय अधिकारों के उल्लंघन पर उपयुक्त रोक लगवाने के लिए भरसक प्रयत्न करती रहेंगी। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति भी वास्तविक होनी चाहिए। गत 19 महीनों के अनुभव से ऐसा आभास होता है हमारे देश में लोकतंत्र का पुनः आगमन बाहरी लोकमत के दबाव से हुआ है। हम विदेशी लोकतन्त्र के इस आभार को नहीं भूल सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य आपके अनुरोध पर समाप्त करता हूं यद्यपि अभी कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ बाकी है।

श्री पी० के० कोडियान (अडूर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का संकेत होना चाहिए था कि हमारी नई सरकार देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए किस दिशा में कार्य करना चाहती है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की कतिपय भीषण समस्याओं की ओर संकेत नहीं किया गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्ता दी गई है। लेकिन साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था, किसानों के भविष्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभावग्रस्त जनता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भूमि सुधार कानूनों का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

नए प्रधानमंत्री सहित जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने यह घोषणा की थी कि यदि जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो नवीं अनुसूची को संविधान से निकाल दिया जाएगा। नवीं अनुसूची में उन भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है जो बुनियादी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं ने पास किए हैं। इसे समाप्त करने का अर्थ होगा उन हजारों लोगों को मुकदमेबाजी में फंसाना जिन्हें भूमिधारी के अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार की घोषणा से हज़ारों किसानों और कृषि मजदूरों के मन में संदेह पैदा होता है। अतः भूमि सुधार के सम्बन्ध में जनता पार्टी के मत को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा आपात स्थिति के दौरान की गई थी। सत्ताधारी दल इस कार्यक्रम का मजाक उड़ा रहा है। परन्तु यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इसमें निर्बल वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने वाली कुछ अन्य बातें भी हैं जैसे मजदूरों को न्यूनतम वेतन, किसानों की ऋण मुक्ति, बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना आदि। इन उपायों को बढ़ावा दिया जाए और लागू किया जाए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि नई सरकार कीमतों को किस प्रकार रोकेगी? आवश्यक वस्तुओं की सरकारी वितरण व्यवस्था द्वारा ही मूल्यों में कमी की जा सकती है। इस समय सरकारी वितरण प्रणाली पर्याप्त नहीं है। 60 करोड़ जनता में से केवल साढ़े चार करोड़ जनता को ही इसका लाभ मिल रहा है। जब तक हम वितरण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं बनाते तब तक मूल्यों में कमी नहीं की जा सकती।

मूल्यों में कमी लाने का एक उपाय यह भी है कि उपभोक्ता वस्तुएं सरकारी क्षेत्र में बनें। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र आम उपयोग की वस्तुओं को कम लागत पर बनाने में असमर्थ रहा है।

औद्योगिक विकास के बारे में नई सरकार की क्या नीति है? नई सरकार को चाहिए कि वह अर्थव्यवस्था के विकास के प्रश्न पर सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विचार करे। सरकारी क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि नई सरकार 'वास्तविक' गुट निरपेक्ष नीति का पालन करेगी। मैं यह नहीं समझ पाया कि 'वास्तविक' से उनका क्या अभिप्राय है। क्या इसका अर्थ यह है कि यह सरकार उस समय सर्वथा तटस्थ रहेगी जब साम्राज्यवादी शक्तियां नए स्वतन्त्र देशों को दबाएगी या वह उस समय चुप बैठी रहेगी जब अमरीकी तथा ब्रिटिश सरकारें हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे बनाएगी? अमरीका डियागो गार्सिया में सैनिक अड्डा क्यों बना रहा है और खाड़ी के देशों में आयुध क्यों इकट्ठा कर रहा है। देश के हित साधन के लिए हमारी नीति वास्तविक रूप में गुट-निरपेक्ष होनी चाहिए।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajuraho) : I rise to support the Motion of Thanks moved by Shri Karpuri Thakur. The opposition Members accept that they have committed certain mistakes but they are not ready to give details of their mistakes. It clearly shows that they have not repented from the core of their hearts. In my view, they have been penalised for their mistakes. The Congress who was pledged to democracy and freedom of expression, did everything to curb individual freedom and civil liberties during emergency. Every kind of opposition was gagged and opposition members of Parliament were put in jails. The irony of it is that it was done in the name of democracy. Numberless promises were made to the people but the fact is that the land reforms laws, which were passed as far back as in 1960 are yet to be implemented fully. There are thousands of villages where even drinking water is not available and the people have to get it from a long distance and that too with difficulty.

Although it has been claimed that lakhs of acres of land were distributed to the poor cultivators and that poor people and Harijans had been allotted house sites, the fact is that it remained only on papers and hardly any benefit reached needy person.

Despite all efforts made by the Congress regime, unemployment has risen alarmingly. This is a serious problem and needs immediate attention.

Government of Madhya Pradesh has committed many excess during emergency. These excess cannot be proved into unless that Government is changed. Therefore, early elections should be announced in Madhya Pradesh. Even now many areas in Madhya Pradesh, for instance Bastar, Jhabua, Bundelkhand and Rewa etc. are extremely backward and have no industries. Railway lines are not adequate there. Government should seriously look into it and efforts should be made to establish industries so that the local people can find employment.

श्री आर० मोहनरंगम (चिंगलपुट) : गत दस दिनों से हम यह देखते आ रहे हैं कि अधिकांश वक्ता हिन्दी में बोलते हैं । हम उसे नहीं समझ पाते ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी अनुवाद सुन सकते हैं ।

श्री अरविन्द बाला पजनोर (पांडिचेरी) : प्रक्रिया यह है कि पार्टी के सदस्यों की संख्या के आधार पर समय नियत किया जाता है । अन्ना द्रमुक दल के 19 सदस्य हैं और हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को ध्यान में रखा जाएगा ।

श्री एडूआरडो फ्लेरो (मोरमुगोआ) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार जनता की शक्ति, तथा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था रखती है । मैं गोआ, दमन, दीव निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं । वहां के निवासियों की यह तीव्र इच्छा है कि इस प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाए ।

[**श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए**
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair.*]

यह मांग गत 15 वर्षों से की जा रही है ।

सदन को याद होगा कि 18 दिसम्बर, 1961 को गोआ, दमन और दीव के औपनिवेशिक राज्य का अन्त हुआ था । तब से अब तक वह संघशासित प्रदेश है । संवैधानिक योजना के अनुसार संघशासित प्रदेश का दर्जा स्थायी दर्जा नहीं होता । 1964 में जनमत

लिया गया था और उससे सिद्ध हो गया था कि वहां की जनता महाराष्ट्र या मैसूर में नहीं मिलना चाहती बल्कि अपना एक अलग राज्य चाहती है। 13 वर्ष बीत गए पर जनता की इच्छा को कार्यरूप नहीं दिया गया।

वर्ष 1971 में विपक्ष ने एक गैर सरकारी संकल्प पेश किया था कि गोआ को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। यह संकल्प सर्वसम्मति से पास किया गया था।

इस संघशासित प्रदेश को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। वर्ष 1976 में महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी, जो इस संघ राज्य क्षेत्र की पड़ौसी राज्य महाराष्ट्र मे मिलाने के पक्ष में थी, एक संकल्प महाराष्ट्र विधान सभा में लाई और वह भी सर्वसम्मति से पास किया गया। राज्य सभा में गोवा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि गोवा संघशासित प्रदेश है। हमारे यहां लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय भी नहीं हैं।

राज्य का दर्जा न दिए जाने के दो कारण हैं। इसका पहला कारण तो यह है कि यह प्रदेश छोटा है। परन्तु ये आंकड़े 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र त्रिपुरा, मणिपुर आदि का राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा, दमन, दीव को राज्य का दर्जा न के पीछे कोई औचित्य नहीं है।

दूसरा कारण यह बताया जाता है कि यह प्रदेश आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। लेकिन मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि वर्ष 1964-74 के दौरान राजस्व में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हमारा इस समय घाटा 12.34 करोड़ का है। यदि इस प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो हमें 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार 9 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार ने वहां के लोगों के साथ लम्बे चौड़े वायदे किए लेकिन किया कुछ नहीं। सरकार को छोटे राज्यों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे आशा है कि चर्चा के दौरान मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : At the outset I would like to compliment the people of Muzaffarpur who have elected me to Lok Sabha inspite of the fact that all through the election period, I was not allowed to go to my Constituency. It is regrettable that people of my Constituency were dissuaded to vote for me on the ground that I do not belong to that Constituency.

The policies of Congress Government did not help in solving the unemployment problem. The previous Government created regional imbalances and there was unprecedented price rise. These problems have to be tackled without delay. I hope that the Congress sitting in the opposition, which is really responsible for creating these problems, would lend a helping hand in solving these problems.

During last year dynamic decade was celebrated. The fact is that it was not a dynamic decade but it was a decodent decade.

When Shrimati Indira Gandhi became the Prime Minister value of a rupee was 54 paise but after the so called dynamic decade it came down to 25 paise. During this period the number of persons below poverty line increased from 24 crores to 42 crores. Per capita consumption of pulses came down from 50 grammes to 42 grammes and that of cloth from 15 mts. to 13 mts. per capital consumption of vanaspati ghee declined from 840 grammes

to 748 grammes and that of sugar from 7 kg. to 6 kg. Similarly per capita production of steel came down from 9.3 kg to 7.8 kg. during this decade.

According to the registers of Employment Exchanges the number of unemployed persons was 26 lakhs at the beginning of the decade and it rose to 1 crore during Mrs. Gandhi's 10 years of rule. The number of illiterate persons rose from 36 crores to 42 crores. This is the progress made during the so called dynamic decade.

In the booklet "Why Emergency" presented to this House a number of wrong statements have been made. What ever has been written about Shri Jaya Prakash Narain should make the authors of that booklet feel ashamed and the least they can do is to apologise to this great man.

In this pamphlet there is a chapter on strike by railway employees. A charge has been levelled against me that I was responsible for the railway strike which had resulted in loss of crores of rupees. I did not want strike. My stand was that every demand of the 6-point charter of demands of the railway workers was negotiable. While negotiations were to be carried on the 2nd May with the railway authorities, I was arrested and sent to Tihar jail. This was an attempted national disruption but not by railwaymen but by the Government of Mrs. Gandhi.

In the book "The Railway Strike" written by Comrade S. A. Dange, he has stated that "The Government of the country, ruling in the name of democracy has unleashed its armed forces against unarmed peaceful workers to compell them to work". Shri Dange has also stated that families of railwaymen were also attacked. This is the tyranny perpetrated on the railway workers by the then Government.

All India Radio propagated many wrong things against me when I was underground. I was termed as Mao's agent. The fact is that I had written a letter to Chairman Mao about the railwaymen's strike in China demanding that his Government should concede the legitimate demands of Chinese railwaymen. Such untrue things were said about me.

Another charge levelled against us is that we have received money from foreign sources. The fact is that contributions from two union of Japanese railwaymen were handed over to me in 1975 by the Presidents of those unions when they came to attend the fiftieth annual conference of the ATRF held in Jodhpur, India. I had promised to use the contribution as Indian railwaymen's education fund for a long period in future. This money is still lying in the banks. But this fact was misrepresented and baseless allegations were made against us.

The people of this country have proved that there was fascism in this country which was based on falsehood. The people have removed that fascist regime for which I congratulate them. I think the President for his Address which has given an outline of the bad situation of the country during the last 20 months.

श्री बेदब्रत बरुआ (कांग्नियाबीर) : हमारे दल के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, हम इस बारे में पहले ही कह चुके हैं कि गलतियां हुई हैं । हम उन गलतियों को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इसमें दो त्रुटियां हैं। पहली बात यह है कि इन्हें तैयार करते समय देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा गया है । उन्होंने उत्पादन के बारे में भी आंकड़े नहीं दिए । कांग्रेस दल के सदस्यों को गर्व है कि गत कुछ वर्षों के दौरान कई वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है । इतना ही नहीं निर्यात में भी वृद्धि हुई है। सत्तारूढ़ दल को जनादेश प्राप्त हुआ है और यह दल लोगों के अधिकारों पर लगे

प्रतिबन्धों को हटायेगा । हमारे दल के नेता ने कहा है कि हम सभी आवश्यक मामलों में सत्तारूढ़ दल के साथ सहयोग करेंगे ।

कृषि विकास के बारे में जो कुछ कहा गया है, उससे भी में आंशिक रूप से सहमत हूं। क्योंकि कृषि के विकास में हमारे दल का काफी योगदान रहा है। यह कहना गलत है कि कृषि में कम निवेश किया गया है या कृषि की उपेक्षा की गई है। हमारे देश में हरित क्रांति भी हुई है। स्वतन्त्रता के बाद खाद्यान्नों का उत्पादन दुगुना हुआ है । इस सम्बन्ध में कुछ और उपाय भी किए गए हैं। यद्यपि कृषि के क्षेत्र में इससे भी अधिक किया जा सकता था, किन्तु कई कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका । वैसे वर्तमान सरकार को भी उन योजनाओं को कार्यान्वित करना उतना ही कठिन होगा । सत्तारूढ़ दल यह कह सकता है कि कांग्रेस दल असफल रहा है, किन्तु उन्हें भी स्वयं जनता को शीघ्र यह बताना होगा कि कृषि में उन्होंने कितना कुछ सुधार किया है ।

यह सही है कि ग्रामीण जल सप्लाई के लिए कुछ किया जाना चाहिए किन्तु इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। यह कहना सही है कि कई लोग गरीबी की रेखा से निम्न स्तर का जीवन बिता रहे हैं किन्तु वे अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूमिहीन मजदूरों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है । सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहती है। इन सब बातों का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया जाना चाहिए था। कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या वहां उद्योग स्थापित करके हो सकती है, किन्तु जब तक औद्योगिक क्षेत्र से वहां निवेश नहीं किया जाता तब तक ग्रामीण उद्योगों का विकास करना संभव नहीं है। इसके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होगी ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीति का सामान्य विवरण होना चाहिए था। मैं जानता हूं कि सत्तारूढ़ दल इतनी जल्दी अपना दृष्टिकोण व्यापक रूप में पेश नहीं कर सकता किन्तु बिना किसी आर्थिक नीति के कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आता । क्या कारण है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं किया गया है। दो या तीन पंक्तियों में इसका उल्लेख किया जा सकता था ।

देश के समक्ष विद्यमान समस्याओं के प्रति कम से कम कोई दृष्टिकोण तो होना ही चाहिए ।

मैं श्री वर्मा से औद्योगिक नीति के बारे में एक वक्तव्य चाहता हूं । आज हमारे देश में सरकारी क्षेत्र केवल प्रमुख उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। यह डबल रोटी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी कर रहा है । संसद सदस्य के नाते मैं सरकारी क्षेत्र के भविष्य के बारे में चिंतित हूं। यदि सरकारी क्षेत्र का विकास न हुआ तो फिर दो संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए किन्तु एकाधिकार गृहों का नहीं। शेयर होल्डिंग प्रणाली में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए । सरकारी वित्तीय संस्थाओं को शेयर खरीदने के लिए कहा जाता है । वर्तमान स्थिति में ऐसा कैसे संभव होगा ? यदि सरकारी क्षेत्र का विकास नहीं किया गया तो गैर-सरकारी

क्षेत्र आगे बढ़ जायेगा। यदि सत्ता रूढ़ दल में आंतरिक मतभेद के कारण इसे पनपने न दिया गया तो ..... (**व्यवधान**)

मुझे आशा है कि उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार सुचारू रूप से कार्य करे। संसद सदस्य के रूप में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि कुछ लोग एकाधिकार को रोकना चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्र ..... (**व्यवधान**)

यह आलोचना करने का समय नहीं है। मैं अपने दल की ओर से आपको सभी तरह का सहयोग देना चाहता हूं।

सरकार को अपनी आर्थिक नीति स्पष्ट करनी चाहिए। जब तक सरकार यह नहीं बताती कि सरकारी क्षेत्र को कितना प्रोत्साहन दिया जायेगा और गैर-सरकारी क्षेत्र तथा एकाधिकारियों को कहां तक रोका जायेगा, तब तक हम बड़ी कठिनाई में रहेंगे। सत्तारूढ़ दल के रूप में उन्हें तत्काल देश के सामने अपना दृष्टिकोण तथा नीतियां रखनी हैं। उन्हें यही नहीं कहते रहना चाहिए कि वे अभी आर्थिक नीति तैयार कर रहे हैं।

यह सही है कि सत्तारूढ़ दल को लोगों के मूलभूत अधिकार लौटाने के लिए 'जनादेश' प्राप्त है। 1971 में कांग्रेस को बहुमत दिया गया था और उस समय लोग चाहते थे कि भूमि सुधार, काश्तकार सुधार तथा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जैसे प्रगतिशील उपाय किए जाएं। यह सब प्रतिक्रियावादी न्यायपालिका प्रणाली के रहते सम्भव नहीं है। हमारी पार्टी अभी भी उसमें विश्वास रखती है। इसलिए सत्ताधारी दल को जो बहुमत मिला है उसमें हम एक प्रगतिशील संसद चाहते हैं जो सामाजिक सुधारों को शीघ्रता से लागू कर सके।

आजकल दल बदल को पुनर्गठन अथवा पुनर्मिलन की संज्ञा दी जाने लगी है। इस प्रकार की उछल-कूद को पुनर्गठन नहीं कहना चाहिए।

PROF. SHIBBAN LAL SAKSENA (Maharajganj) : Elections to State Legislative Assemblies should be held soon. The results of the Lok Sabha elections have shown that Congress Governments in States have lost the support of the people. Therefore, the Government should take steps for holding Assembly elections.

Agricultural commodities should not be imported. Instead, we should pay higher price to our cultivators for their produce. That would encourage them to produce more.

Talkundi Project should be completed at the earliest possible. Negotiations should be held with Nepal Government in regard to this Project.

Excise duty on Khandsari should be reduced. Khandsari industry should be given necessary protection and all its hurdles should be removed.

An all-India wage policy should be formulated and the injustice done to the persons engaged in sugar industry should be removed. There should be uniformity in wages in all industries.

The Congress Government had reduced bonus. The Government should restore the bonus which was paid to workers.

Two D.A. instalments due to Central Government employees should be paid to them. The agreement with the Life Insurance Corporation had been changed by the previous Government. That agreement should be restored.

The ONGC is not implementing the decision given by the Gujarat High Court in regard to pay and bonus of the workers. That decision should be implemented soon.

The Government should make increased allocations to education—Development of education is very necessary for the all round progress of the country.

There should be Cooperative Societies for workers on railway stations so that contractors do not exploit them.

The Forest Research Institute at Dehra Dun should be converted into an autonomous body.

The Government should take steps to see that sugar industry is run properly. The employers should pay wages to workers in time and also pay case dues to farmers.

There is widespread unemployment in the country. This problem should be loved on war-footing.

There are 830 workers of N. E. Railway who were dismissed. They should be reinstated and wages at old rate should be paid to them.

There are more workers who were also dismissed. They should also be reinstated.

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम (तंजावूर) : सरकार को जनता और राज्यों तथा केन्द्र के बीच शक्ति सन्तुलन बनाए रखने के लिए व्यापक संशोधन लाने चाहिए । मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप के अनुरूप होंगे।

जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, यह देश के कल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक है । लेकिन कार्यक्रम का क्रियान्वयन अनिवार्य नहीं होना चाहिए। यह स्वेच्छिक होना चाहिए। हमें लोगों को इस सम्बन्ध में शिक्षा देनी होगी ताकि वे इसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लें।

जहां तक खाद्य उत्पादन का सम्बन्ध है, सरकार को उत्पादकों के लिये उचित और लाभप्रद कीमत निर्धारित करनी चाहिए । खाद्यान्नों की उत्पादन लागत को न्यूनतम करने की दृष्टि से उर्वरकों और कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली अन्य वस्तुओं की सप्लाई समय पर करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्तःराज्यीय जल विवादों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है । सरकार को कावेरी जल विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। मामले को निपटाते समय इस बात का ध्यान मुख्य रूप से रखा जाना चाहिए कि पुराने 'आयाकारों' को दिये जाने वाले जल में कमी न हो । केन्द्र सरकार को 1924 के समझौते की भावना के अनुरूप कावेरी जल विवाद को निपटाना चाहिए ।

गत कुछ वर्षों से तमिलनाडु औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा रह गया है । सलेम इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा धीरे काम करने की नीति अपनाई जा रही है। उन्हें सलेम इस्पात परियोजना के काम में तेजी लानी चाहिए।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : कार्यवाहक राष्ट्रपति संक्षिप्त और सारगर्भित अभिभाषण देने के लिए बधाई के पात्र हैं । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि लोगों पर काफी ज्यादतियां हुईं। हम उनको उनके इस कथन के लिए धन्यवाद देते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है कई मामले चर्चा के लिए आए हैं। जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो उन मामलों की जांच की जायेगी। यह वाकई ही बहुत अच्छी बात है।

जहां तक सदस्यों द्वारा विवरणियां आदि प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इस प्रकार की विवरणियों से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित सीमा व्यवहार्य नहीं है। अधिकांश मामलों में सीमा से अधिक व्यय किया गया है। हमें कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में पूर्णतया संशोधन कर दिया जाना चाहिए ताकि सारे खर्च को समाप्त किया जा सके। समस्त चुनाव-व्यय सरकार द्वारा सहन किया जाना चाहिए।

हम समाजवाद की बातें करते हैं लेकिन हमारे देश में निर्वाचन पद्धति समाजवाद के अनुरूप नहीं है। चुनावों में भारी धन-राशि व्यय होती है। चुनावों में हेराफेरी होती है। हमें इस दिशा में आवश्यक सुधार करना चाहिए।

इस समय एक तालुक और दूसरे तालुक में भारी विषमता है। हरिजन, आदिवासी और पिछड़े समुदायों के लोग अभी भी अन्धकार में हैं और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अतः पिछड़े क्षेत्रों और समुदायों के लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए और यह मंत्रालय सीधा प्रधान मंत्री के अधीन होना चाहिए।

जहां तक निर्धनता को दूर करने का प्रश्न है, यदि हम वास्तव में देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें देश के गांवों से गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इस सम्बन्ध में डा० स्वामीनाथन जिन्हें इन परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया, के हाथ सशक्त किए जाने चाहिएं।

जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है, इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

24-परगना जिले की आबादी 85 लाख से ऊपर है। उसका एक भाग एकदम पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसको पिछड़ा हुआ नहीं माना गया है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त सुझाव देने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि इस जिले को दो भागों में विभाजित किया जा सके। सुन्दरबांस क्षेत्र की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इस क्षेत्र में कोई तकनीकी विकास सम्भव नहीं।

DR. BALDEV PRAKASH (Amritsar): I rise to support the Motion of Thanks on the Address by the Vice President acting as President.

The acting President has rightly said in his Address that steps will be taken to remove the curbs imposed during the last 18 months on the fundamental freedom and civil rights. Today itself two Bills have been introduced in the House to repeal the Prevention of Publication of Objectionable Matter Act, 1976 and to protect the publication of reports of proceedings of Parliament. Similar steps have been taken in other directions as well.

The Leader of the Opposition has claimed that he is in favour of individual freedom and liberty. What type of liberty it was wherein lakhs of persons were held under MISA and the doors of the courts were closed for them?

It is said that there should be no indiscipline in the country. But the question is how the indiscipline arises. It arises when the rulers given up the recognised ideals and traditions. The refusal of the outgoing Prime Minister to resign after the verdict given by the Allahabad High Court could only create indiscipiline in the country. It does not believe the people who created indiscipline to lack of discipline and procedure now.

Thousands of Opposition leaders were put in the jails under MISA without assigning any reason after the promulgation of Emergency. Was it a way to run the government? Those responsible for murdering the democracy and rule of law should be dealt with sternly. Let the cases of gross violation of law be inquired into and the officers found guilty punished.

The Leader of the Opposition, Shri Chavan, said that the Congress had accepted the defeat and that they had learnt a lesson from it. But he is not prepared for the withdrawal of the 42nd Amendment of the Constitution. The verdict of the people is quite clear and unmistakable. The people voted against the emergency and the 42nd Amendment. This verdit of the people has to be accepted and the sooner it is done the better it will be.

Some promises have been made to the people during election, those promises have got to be fulfilled. We want to bring about equality. During the last 30 years, there was increase in economic disparities the poor became poorer and the rich richer. It is high time to do away with such disparities and to provide equal opportunities to all in all spheres of life.

The former Government failed to provide even drinking water to the people during its 30 years' rule. It is hoped that now the Janata Party will do it.

Reinstatement of the dismissed employees is the step in the right direction and Government deserves to be congratulated for the same. But what about the State Government employees? Several employees of the Amritsar Improvement Trust were dismissed during the emergency. Those employees should also be reinstated.

It is clear that people have rejected the 20-point programme as well as the 5-point programme. Now the Janata Party will bring in new programmes for the welfare of people and try to implement them within five years. If we fails to do so we will quit and not stick to office like our predecessors.

श्री सी० एम० स्टीफन (इडुक्की) : राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई भी चीज़ सार्थक नहीं है। इसमें उन सभी सामान्य सिद्धांतों अथवा परम्पराओं का उल्लंघन किया गया है जिनमें यह निर्दिष्ट है कि राष्ट्रपति उस सरकार के संदर्भ में कोई अपमानजनक बात नहीं कहेगा जिसका वह चुनावों से पूर्व प्रतिनिधित्व करता रहा है। राष्ट्रपति से राष्ट्र की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करने तथा आगामी वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का संकेत करने की अपेक्षा होती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति इस संबंध में मौन रहे हैं। राष्ट्रपति ने कुछ अधिनियमों का निरसन करने के बारे में ज़ोर देने के अलावा कुछ नहीं कहा है।

[**श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDRANTH BASU *in the Chair*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी नीति का संकेत नहीं है। केवल यही कहा गया है कि आंसुका समाप्त होगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जायेगा, अक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम का निरसन किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित

करने के लिए कि राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध न लगने पाये, कानून बनाया जायेगा । ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं कि इन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल किया जाए । यदि जनता पार्टी के अनुसार यही ऐसी बातें हैं जिन्हें गत 6 वर्षों के कांग्रेस के शासन काल के दौरान की गई हैं और जिनका सुधार किया जाना है तो यह स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस के कार्य इतने बुरे नहीं हैं जितना कि इन्हें बनाने का प्रयास किया जा रहा है । अतः मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद करने में कठिनाई अनुभव कर रहा हूं ।

अभिभाषण में सरकार के कार्यों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। सरकार को ऐसी अनुचित कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी कि राष्ट्रपति स्वयं उसकी आलोचना करे । यह ऐसी बात है जिसका कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में परिहार किया जाता है। ऐसा घातक पूर्वोदाहरण स्थापित नहीं करना चाहिए।

यह बात ठीक ही कही गई है कि आम चुनावों ने जनता के निर्णय का कारगर प्रर्दशन किया है तथा यह दिखा दिया है कि भारत में लोकतंत्र कितना मज़बूत है । लेकिन जब यह कहा जाता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश में दृढ़ होती जा रही है तो यह स्वीकार करना होगा कि गत 30 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। आपात स्थिति के बावजूद कांग्रेस ने चुनाव करने का आदेश दिया जबकि कानून के अनुसार वह चुनाव कराने में और विलम्ब कर सकती थी।

यह भी कहा गया है कि जनता ने वैयक्तिक लोकतन्त्र तथा विधान के पक्ष में अपना स्पष्ट निर्णय दिया है । लेकिन वास्तविकता यह है कि समूचा केरल हमारे पक्ष में है। इसी तरह समूचा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु भी हमारे पक्ष में है। अतः स्पष्ट निर्णय कहां है ? इस बात से मैं सहमत हूं कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र के लिए ही जनता ने निर्णय दिया है।

जिस समय आपात स्थिति की उद्घोषणा के सम्बन्ध में इस सदन में संकल्प पेश किया गया था तब श्री जगजीवनराम ने कहा था कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता नष्ट की जा रही है और लोकतंत्र को कमजोर बनाया गया है । इसलिए लोकतंत्र की रक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा संविधान के उन उपबंधों को लागू करने की दृष्टि से आपात स्थिति लागू करना अनिवार्य हो गया है । जिस उद्देश्य से आपात स्थिति लागू की गई थी जनता ने उसका अनुमोदन किया था । लोगों ने केवल उन दुष्कर्मों के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है जिन्हें आपात स्थिति के अवरण में कुछ क्षेत्रों में किया था। सरकार ने यह दिखाने के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित किया है कि लोगों ने आपात्त स्थिति की निंदा की है।

यह ठीक है कि जनता ने अपना निर्णय दिया है और अब हमें जिम्मेवार विपक्ष की हैसियत से काम करना होगा । हमारा योगदान विश्व को यह दिखाने के लिए होगा कि जिम्मेदार विपक्ष किस तरह से अपना कार्य करता है । अब आंसुका की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी ।

हमारे संविधान में यह उपबंध है कि विशेष परिस्थिति में ही आपात्त स्थिति की उद्घोषणा की जा सकती है । अब प्रश्न यह है कि उस समय विद्यमान परिस्थितियों में

क्या यह उचित था। कहा गया है कि जनता पार्टी जनता के आदेश का पालन करेगी। यह आदेश ही विधान है। लेकिन क्या एक व्यक्ति के विरुद्ध डायनामाईट का मामला न्यायालय से वापस लेना न्याय संगत है। न्यायपालिका का सामना करने के लिए उनमें नैतिक साहस नहीं है।

हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। देश की प्रगति होनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी नीति के अनुसार ही चलते रहे तो मुझे आपकी सफलता के बारे संदेह है। आप सफल हों, यह मेरी कामना है लेकिन वास्तविकता का सामना करना ही है।

राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ ऐसी चीजें हैं जोकि उसमें नहीं होनी चाहिए थीं। जनता पार्टी के आने से दो दलीय प्रणाली विकसित हो रही है। यदि ऐसा हो तो अच्छा ही है।

संविधानेत्तर शक्तियों की बात की जा रही है। मैं श्री जयप्रकाश नारायण का सम्मान करता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। क्या वक्तव्य तथा निदेश देना संविधानेत्तर शक्तियों का प्रयोग करना नहीं है? कश्मीर विधान सभा की विधान सभा के विघटन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है परन्तु एक प्रति जयप्रकाश नारायण को भेज दी जाती है। वह प्रैस कांफ्रेंस बुलाते हैं और निदेश देते हैं। यही नहीं नेता का चुनाव भी जनमत द्वारा न किया जाकर संविधानेत्तर शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया। ऐसी शक्तियों की निन्दा की जानी चाहिए।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : किसी को स्वेच्छा से श्रद्धांजलि देना एक बात है और किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए विवश करना अन्य बात है। श्री संजय गांधी के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए विवश किया गया। क्या इन दोनों में अंतर नहीं है?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी बातें कह रही है जो उनकी नीतियों के विपरीत है।

कांग्रेस की हार का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण भारत में कांग्रेस सरकार की विजय हुई है।

हम सबका सामूहिक प्रयत्न होना चाहिए कि भारत को मजबूत बनाया जाए।

मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कई दोष हैं।

श्री अशोक कृष्ण दत्त (डमडम) : मैं श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। गत चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और यहां की जनता बड़ी जागरूक है। यह चुनाव एक शांतिपूर्ण क्रांति है। चुनाव के माध्यम से तानाशाही को समाप्त करने का उदाहरण हमें कहीं और नहीं मिलता। लोगों में उत्साह की भावना है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह भावना परिलक्षित होती है।

खेद की बात है कि विपक्ष के नेता ने हमें अर्जीब जानवर कहा। उनको ऐसा कहने से पूर्व अपने भीतर झांक लेना चाहिए था। जब हमारे अधिकार छीने जा रहे थे तो उन्होंने इसके विरोध में कुछ नहीं कहा।

लोकनायक श्री जयप्रकाश नारयण का जेल में जिस तरीके से डाक्टरी इलाज किया गया, सम्भवतः उससे उनके गुर्दे खराब हो गए। वर्तमान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे।

कांग्रेस सरकार ने न केवल वर्तमान पीढ़ी को झूठा प्रचार किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करने के लिए एक कालपात्र गाढ़ा गया। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस कालपात्र को खोदकर निकाला जाए और देखा जाए कि इसमें क्या लिखा गया है।

सरकारिया आयोग की बात की जा रही है। कुछ वर्ष पहले वांचू आयोग की स्थापना की गई थी। उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दो मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े। उनमें से एक मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री था। लेकिन चंद महीनों के अन्दर ही उसे पटसन निगम का चेयरमैन बना दिया गया और उसे जितना वेतन मंत्री के रूप में मिल रहा था, उससे दुगना वेतन मिलने लगा। दूसरा मंत्री उपमंत्री था। गत चुनावों में उसे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय की पत्नी माया राय का चुनाव एजेन्ट बना दिया गया। इस प्रकार भ्रष्ट मंत्रियों को उच्च वेतन पर नियुक्त कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल में विशेषकर बैरकपुर और डमडम निर्वाचन क्षेत्रों में मत-पत्रों में हेराफेरी की गई। यदि हेराफेरी न हुई होती तो मैं दो लाख अधिक वोटों से जीतता। इन क्षेत्रों में हुई हेराफेरी के बारे में जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन कार्यालय पर धावा बोला गया, मेरे सहयोगियों को बेरहमी से पीटा गया। चार मोटर-कारों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। रात को एक बजे समाचार मिला कि मत-दान शुरू कर दिया गया है। लिखित शिकायत पर कार्यवाही करने के बाद पाया गया कि मतदान 3 बजे शुरू हो चुका था। 7 मतदान केन्द्रों पर छापा मारा गया जिससे पता चला कि मत-पत्रों पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगी हुई थी। मेरे पास कई मत-पत्र हैं जिन्हें गलियों में खुले आम फेंका गया। मैं उनको सभा-पटल पर रख सकता हूं। जब वास्तविक मतदान शुरू हुआ तो गुण्डे आग्नेयास्त्र तथा रिवाल्वर लिए हुए मतदाताओं को भड़काने लगे। मतदाताओं को दूसरी ओर धकेल दिया गया और मतपत्रों पर जबरदस्ती मोहर लगाई गई। निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि जांच कराई जाए तो कई घोटालों का पता चल सकता है। इसमें वहां के मुख्यमंत्री का भी हाथ है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ उपबन्धों का निरसन किया जाएगा। मेरे विचार से इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें कुछ नए उपबन्ध भी पेश करने पड़ेंगे क्योंकि मत-पत्रों में ऐसी हेराफेरी पहले नहीं देखी गई।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और भारत के कई भागों में कई उद्योग विशेषकर पटसन तथा इंजीनियरी उद्योग बंद पड़े हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गत 20 महीनों में 50,000 व्यक्तियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसकी पूरी जांच की जाए। बंद उद्योग को खोला जाए और बेरोजगार हुए व्यक्तियों को फिर से काम पर लगाया जाए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनभावना परिलक्षित होती है। देश की सबसे बड़ी आवश्यकता निर्धनता को हटाने तथा बेरोजगारी खत्म करने की है। इस समस्या को ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकेन्द्रीकरण द्वारा हल किया जा सकता है।

विपक्षी दल ने अभिभाषण की यह कहकर आलोचना की है कि यह देखने में छोटा है। वस्तुत: अभिभाषण संक्षिप्त एवं सारपूर्ण है तथा जनभावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है। यह बहुत अच्छा अभिभाषण है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI M. RAMGOPAL REDDY (NIZAMABAD) : In the President's Address, it has not been stated that our foreign exchange reserve increased by 2600 crores during recent years. We have now a buffer stock of 2500 crores tonnes of food grains. We should not close our eves to those achievements of the Congress regime under Prime Minister Indira Gandhi. It is regrettable that Janata Party is obsessed by Indira and Sanjay Gandhi. They have been doing nothing except making wild allegations against them.

The ruling party has made a hue and cry over sterlisation programme. We must admit that this programme has brought down birth rate to a considerable degree. If we really want to enjoy the fruits of planned development, we must contain this explosive rise in our population otherwise all our developmental efforts would be nullified.

Congress Party has been accused of removing poor people from their habitats. Does it mean that Janata Party wish to bring these people back to the slums which have been cleared ?

The results of the last elections have created serious misgivings in the minds of the people in the South. There is an imminent threat to the integrity and unity of India because non-Hindi people have not voted this Government. This is a serious situation. Janata Party should win the confidence of the people in the South.

SHRI RAMJI LAL SUMAN (FIROZABAD) : I rise to support the Motion of Thanks. The Address contains all those promises which has been made by the Janata Party in its manifesto for allround development of India.

The Leader of the Opposition has said that our country made great progress during emergency. The fact is that democracy has been mercilessly butchered during that period. A large number of our leaders and youngmen were put in jails.

Janata Party has made many promises to the electroate. If we are unable to keep our promises, the people would reject us as they have rejected the Congress Party in the last election. Therefore, every effort should be made to see that this party comes up to the expectations of the people.

Many students and youth leaders have been expelled from the institutions and detained during emergency. They showed be given necessary assistance so that they can continue their studies.

The voting age was not brought down to 18 even after repeated demands. It should be brought down to 18 so that our youngmen can exercise their franchise.

A fixed quota has been allocated for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But that quota has never been filled up. The Congress has tried to widen the gulf between Harijans and Caste Hindus.

It is a matter of concern that the quotas of Scheduled Castes and Harijans were never fulfilled by former Government. It is my s ubmissions that Janata Party should make every effort to ensure that the party comes upto expectations of the people. The people who were made political prisoners during last so many months and had to undergo sufferings, should be given some concessions now.

I will request the Government to pay proper attention to the contemporary history. Previous Government did everything to distort the history of the country. Due attention should be given to the history and it should be projected rightly.

I am sorry to point out that Congress not only weakned the democracy in India alone but it tried to play the same dirty game with many other countries. It helped in trampling the democratic forces in Nepal. But the fact was otherwise. We are committed to help and assist democratic forces not only in our country but elsewhere also. It is therefore, our bounden duty to help democratic forces under the leadership of Shri B. P. Koirala in Nepal to establish democratic rule there.

It is known to all that the P.A.C. revolt in Uttar Pradesh was a result of Congress conspiracy. All the persons who were arrested or imprisoned during the P.A.C. revolt should be freed. Similarly all naxalits who have been detained for the last so many years should be released at the earliest.

It is a matter of satisfaction that people have removed Smt. Indira Gandhi from power as she wanted to do away with all the norms and conventions of healthy democracy. Now there is an atmosphere of expectionery in the country and our Janata Government should come upto the expectations of the people.

It is really a matter of concern that the price of wheat fired by the former Government was very unrealistic. The procurement price of Rs. 105 per quintal is much less and it should be increased. The attrocities committed at the instance of Shri Sanjay Gandhi should also be looked into. In order to eliminate corruption the institutions of lokpal and lokayukt should be established. In this connection, the recommendations of Santhanam Committee should be implemented.

In the end of I once again stress that Janata Party Government should do nits best to come upto the expectations of the people otherwise people will remove them as they have removed Congress Party.

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरे मित्र श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो धन्यवाद प्रस्ताव कार्यवाहक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों ने स्पष्ट रूप से अधिनायकवाद के विरुद्ध तथा स्वतन्त्रता व लोकतन्त्र के पक्ष में अपना फैसला दिया है।

अभी कल ही में प्रेजीडेंसी जेल, कलकत्ता गया था। यद्यपि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह वक्तव्य दे दिया है कि राज्य में सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया है, परन्तु अभी अकेले उस जेल में ही 152 राजनीतिक कैदी हैं। इसी प्रकार अलीपुर सैन्ट्रल जेल में सम्भवतः इससे भी अधिक कैदी होंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सभी कैदियों को, जिन्हें जेलों में भेजने के बाद मुकदमा चलाया गया है या जिन पर अभी भी मुकदमा नहीं चलाया गया है, उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिए। भारत

की जनता ने शांतिपूर्ण क्रांति के द्वारा सम्पूर्ण देश की काया पलट दी है । विश्व में यह अपनी प्रकार का पहला उदाहरण है जबकि मतदान के द्वारा किसी तानाशाही सरकार को पूर्णतया शांतिपूर्ण ढंग से बदल दिया गया हो, अतः अब उपयुक्त समय है जबकि सरकार को सभी वर्गों के राजनीतिक बंदियों को तुरन्त रिहा कर देना चाहिए। आखिर देश महान् पत्रकारों यथा सर्वश्री गोर कृष्ण घोष, बरुसेन गुप्त, मलकानी तथा कुलदीप नैय्यर का क्या दोष था? आखिर इन बेचारों को क्यों जेलों में ठोंसा गया ।

अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि वर्तमान सरकार देश में से गरीबी को 10 वर्ष में दूर कर देगी तथा कृषि व कृषि पर आधारित उद्योगों तथा लघु व कुटीर उद्योगों पर बल दे कर कृषि व रोजगार प्रधान कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम की निश्चय ही देश को काफी अधिक आवश्यकता है क्योंकि गलत नीतियों तथा कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस दल के 30 वर्षों के शासन में आम जनता के आर्थिक स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है। मुद्रास्फीति के दबाव में जनसाधारण को आम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत ही खेद की बात है कि केवल बड़े बड़े 20 औद्योगिक गृहों के सम्पत्ति में ही 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं कुछ महत्वपूर्ण व्यापारगृहों की लाभ की दर में गत 3 वर्षों में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अतः अब हमें संतुलित अर्थ व्यवस्था लाने के लिए देश की आर्थिक नीतियों में पूरी तरह परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

जहां तक देश की विदेश नीति का सम्बन्ध है, उसके बारे में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट किया है कि वास्तविक तटस्थता की नीति अपनाई जायेगी । यह भी एक स्वागत योग्य बात है। किसी भी देश की ओर विशेष झुकाव नहीं होना चाहिए । हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमारी किसी के प्रति दुर्भावना भी न हो । अतः हमारी विदेश नीति में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना चाहिए।

श्री संजय गांधी के बारे में हमारे स्कूलों के लिए कई पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं । किसी नेता की पूजा करने की यह प्रवृत्ति अब समाप्त की जानी चाहिए। इस प्रकार के सभी प्रकाशन चाहे वह किसी भी भाषा में क्यों न हों, तुरन्त वापिस ले लिए जाने चाहिए ।

यह खेद का विषय है कि कालेज तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक वर्ग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों के बीच भेदभाव किया गया है । अब समय आ गया है जबकि इस प्रकार का सम्पूर्ण भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। सभी के लिए समान नीति को अपनाना काफी अच्छा होगा।

अभी कुछ ही दिन पूर्व बिहार छात्र संघर्ष समिति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि जिन विद्यान सभाओं की कार्यावधि 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो चुकी है, उनके लिए चुनाव करवाने का यह उपयुक्त समय है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सुझाव पर तुरन्त विचार किया जाये तथा चुनाव शीघ्र करवाने की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए।

मेरे मित्र श्री स्टीफन ने कांग्रेस सरकार के कुछ कृत्यों पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का प्रयास किया है । उन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण की तुलना कुछ गलत व्यक्तियों से

करने का प्रयास भी किया है । मैं उन्हें यह स्पष्ट कर दूं कि यदि इस देश के किसी महापुरुष के साथ श्री नारायण की तुलना की जा सकती है तो वह केवल महात्मा गांधी ही हैं ।

इसी प्रकार चर्चा के दौरान एक माननीय सदस्य ने दक्षिण तथा उत्तर भारत में चुनावों की भिन्न स्थिति की बात भी उठाई है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका तात्पर्य यह है कि दक्षिण भारत देश के अन्य भागों से भिन्न है ? मैं उन्हें समझाता हूं कि भारत तो केवल एक ही है । अतः मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें गांधी दर्शन को पुनः जीवन में उतारने तथा समझने का प्रयत्न करना चाहिए ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : पहले हमने 7.30 बजे तक बैठने का फैसला किया था । यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह और अधिक देर तक बैठ सकते हैं । प्रधानमंत्री कल चर्चा का उत्तर देंगे ।

सभापति महोदय : हम आज 8.30 बजे तक बैठ सकते हैं ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : यदि हम 8.30 बजे तक बैठे रहे तो सम्भवतः सदस्यों को संतोष नहीं होगा क्योंकि सुनने वाले सदस्यों की संख्या बहुत कम रह जाएगी । अतः चर्चा एक दिन के लिए और बढ़ा देनी चाहिए ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कल के पूरे दिन के लिए इस चर्चा को चलाए रखना तो सम्भव नहीं होगा क्योंकि कल प्रातः तो हमने चर्चा का उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है ।

सभापति महोदय : आज चर्चा 7.30 बजे तक ही चलेगी । कल इसी विषय पर एक घण्टा और चर्चा होगी ।

श्री कुमारी अनानथन (नागरकोल) : मैं श्री कर्पूरी ठाकुर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आपात स्थिति तथा उसके दौरान किए गए अत्याचारों के कारण ही स्वर्गीय श्री कामराज की शीघ्र ही मृत्यु हो गई । जब श्री कामराज ने यह सुना कि आपात स्थिति की घोषणा कर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, तो उन्हें इससे काफी सदमा लगा । उन्होंने भूतपूर्व सरकार के साथ अन्तिम संघर्ष करने की ठान ली । उनकी सलाह तथा मार्गदर्शन के अनुसार एक संकल्प पारित कर जनता से अनुरोध किया गया कि वह अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहें । 2 अक्तूबर को श्री कामराज की मृत्यु हो गई । जिस समय उनकी मृत्यु हुई वह काफी दुखी थे उनका दिल टूट चुका था । यह कितनी विचित्र बात है कि मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया परन्तु जब वह जीवित थे तो उनके बाग को नष्ट कर दिया गया । गिन्डी में उनके स्मारक में जो चरखा लगा हुआ था, उसे तोड़ कर फैंक दिया गया । परन्तु अब मुझे आशा है कि यह चरखा पुनः उसी स्थान पर सम्मानित कर दिया जायेगा ।

भूतपूर्व सरकार के शासनकाल में लोगों में आतंक फैला हुआ था। भारत के इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया था जब कि इतनी अधिक संख्या में लोगों को जेल भेजा गया हो।

भूतपूर्व सरकार ने संविधान के 59 खंडों का संशोधन करने के लिए केवल 50 घण्टे का समय नियत किया। अतः एक खण्ड के संशोधन के लिए एक घण्टे का समय भी नहीं दिया गया। श्री मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हमारा सर्वप्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि मूल भूत अधिकारों की गारंटी दी जाए और किसी भी परिस्थिति में उसे वापस न लिया जाए। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अपने दादा की भावनाओं के विरुद्ध कार्य किया।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें मूलभूत अधिकारों को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि उन से थोड़े समय के लिए कोई कठिनाई पैदा होती है, अपितु उन्हें संविधान का स्थायी अंग बनाया जाना चाहिए। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अपने पिता की भावनाओं की भी कदर नहीं की।

स्वर्गीय श्री फिरोजगांधी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और अधिकारों के लिए लड़ते रहे। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने 1956 में संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन सुरक्षा) अधिनियम पास करवाया था। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1976 में इस अधिनियम का भी निरासन कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने पति की भावनाओं के भी विरुद्ध कार्य किया। विपक्ष के बारे में कोई समाचार प्रकाशित नहीं हो सकता था। अब जनता सरकार ने समाचारपत्रों पर लगे प्रतिबन्ध हटा दिये हैं। आन्तरिक तथा बाह्य आपात स्थिति समाप्त कर दी गई है। अतः अब हम स्वतन्त्र हैं।

भूतपूर्व सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत बड़ी धन राशि का अपव्यय किया है। कन्याकुमारी को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण जैसे काम में भी ढील दे दी गई। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस लाइन को यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। वहां रसायन उद्योग तथा रबड़ उद्योग की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि इन उद्योगों के लिए वहां कच्चा माल उपलब्ध है। काजू की कमी के लिए वहां कई काजू के कारखाने बन्द हो गए हैं, जिससे हजारों पुरुष तथा महिलायें बेरोजगार हो गई हैं।

हमने जनता को एक स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने का वचन दिया है। किन्तु भूतपूर्व सरकार ने जो भी गलतियां की हैं, हमें उन्हें दूर करना चाहिए। हमें नागरवाला मामला तथा मारुति लिमिटेड के मामले की जांच करनी चाहिए। वर्तमान सरकार का यह दायित्व है कि वह भूतपूर्व सरकार की गलतियां जनता के सामने लाए और सच्चाई का पता लगाए।

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहने को सक्षम नहीं हूं तथापि सत्ताधारी दल के सदस्य के नाते मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति के प्रति न्याय किया जाएगा तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाएगा।

मैं कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्ट अधिकारियों को हटाना जरूरी है, उनके स्थान पर जो कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी रखे जाएं, उनके दिलों से भय की भावना निकाल देनी चाहिए। तभी वे अपने कर्त्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकेंगे।

हमने नया भारत बनाना है तथा इस के लिए अथक प्रयास किए जाने चाहिएं।

श्री बी० के० नायर (मावेलीकारा) : मैं केरल से आया हूं। हाल के चुनावों में केरल में मतदान उत्तर भारत से भिन्न रहा है। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी ऐसा ही रहा है। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह दावा किया गया है कि सरकार दस वर्ष की अवधि के अन्दर निर्धनता को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा दावा करना किसी भी सरकार के लिए असम्भव है। देश में निर्धनों की संख्या करोड़ों में है। हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता के स्तर से भी नीचे रह रही है। कोई जादू का डंडा नहीं है कि जिससे सारे देश में की गरीबी दस वर्ष की अवधि के अन्दर दूर की जा सकेगी। सरकार को कोई ठोस और विस्तृत कार्यक्रम पेश करना चाहिए था।

मेरा सुझाव यह है कि किसानों को समुचित मूल्य दे कर ही समूची अर्थ व्यवस्था का सुधार किया जा सकता है। वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समूचे देश के लिए एक ही मूल्य ढांचा रखना सही नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि समूचे देश के सभी कृषि श्रमिकों के लिए एक समान मजूरी निर्धारित की जाए। मजूरी की दरों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर केरल में एक पुरुष कृषि श्रमिक की मजरी 10 रुपए है, जब कि स्त्री कृषि श्रमिक की 7 रुपए, जब कि आंध्र में मजूरी की दरें अधिक हैं। यह समूचा भेदभाव दूर होना चाहिए।

जहां तक ग्रामों के विकास का प्रश्न है, मेरा सुझाव यह है कि सरकार को निर्धन लोगों के लिए मकान बनाने का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए। इस से गरीब लोगों को रहने के लिए स्थान मिलेगा तथा साथ ही बेरोजगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।

सरकार को देश में भौगोलिक सर्वेक्षण भी करना चाहिए। यदि हम खनिज विकास चाहते हैं, तो इस के लिए भौगोलिक सर्वेक्षण कराना नितान्त आवश्यक है।

हम प्रायः यह शिकायत करते हैं कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ कर शहरी क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं। इस समस्या को हल करने का एक उपाय यह है कि अब से आगे उद्योगों की स्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण मामले की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे देश में लाखों मछियारे देश के तटीय क्षेत्र में रहते हैं। उन लोगों की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी हमेशा उपेक्षा की गई है। ये लोग आज भी दयनीय स्थिति

में हैं । सरकार को इन लोगों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। इनके बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । नए मत्स्य पत्तन खोले जाने चाहिए । थोड़े निवेश से ही सरकार इन लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है । इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

मैं अपने पक्ष की ओर से सरकारी पक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सरकार को पूर्ण सहयोग देंगे। हमारे मतभेद हो सकते हैं, परन्तु मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब के बाद हमारे भाषण तथ्यों और तर्कों पर आधारित होंगे, न कि आलोचना के लिए आलोचना पर। सरकार को हमारे सुझावों पर खुले दिल से विचार करना चाहिए । हम चाहते हैं कि केन्द्र में एक स्थायी सरकार हो। देश की एकता के बनाए रखने के लिए हिन्दी क्षेत्र अथवा गैर हिन्दी क्षेत्र और उत्तर भारत अथवा दक्षिण भारत का विचार किए बिना समूचे देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार को अलगाव की भावना वाले तत्वों को दूर कर देना चाहिए और उन्हें विश्वास तथा पारस्परिक सहयोग का वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री सी० एन० विश्नाथन (त्रिपत्तूर) : सर्वप्रथम मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूं । इसने कई क्रान्तिकारी एवं स्वागत योग्य कार्य किए हैं । उदाहरण के तौर पर बर्खास्त रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में सरकार ने जो घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं । यद्यपि यह एक बड़ी समस्या है फिर भी सरकार ने इतनी जल्दी अपने निर्णय की घोषणा की है।

जम्मू तथा कश्मीर में विधान सभा भंग किए जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव था। प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि तीन महीने की अवधि के अन्दर वहां चुनाव कराए जाएंगे । तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में चुनाव कराये जाने चाहिए । प्रधान मंत्री को इन राज्यों में चुनाव कराने की तिथियों की घोषणा कर देनी चाहिए ।

सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है । सरकार ने हमें बताया है कि कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। परन्तु सरकारिया आयोग की अगली बैठक की घोषणा अभी नहीं की गई है। उस तिथि की घोषणा कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसरण में अभी तक कोई दोषपत्र जारी नहीं किया गया है । तमिलनाडु के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार को इस मामले में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं माननीय प्रधान मन्त्री का ध्यान तमिलनाडु भूमि सुधार अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं। तमिलनाडु में एक फार्म के लिए 15 मानक एकड़ भूमि की सीमा निर्धारित की गई है सरकार हमें बताए कि क्या यह 15 मानक एकड़ की सीमा जारी रहेगी या इसे और कम किया जायेगा ताकि गरीब किसानों को भी भूमि उपलब्ध हो सके ।

जनता सरकार को गरीब किसानों को समुचित मजूरी देने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तमिलनाडु में किसान बहुत गरीब है। जिन विकास बैंकों ने किसानों को ऋण दिए थे वे उन ऋणों को जबरदस्ती वापस ले रहे हैं । यदि इन किसानों ने उस ऋण

को नहीं लौटाया तो उनके पैम्पसैट ये भूमि विकास बैंक छीन लेंगे। प्रधान मंत्री इन भूमि विकास बैंकों को इन किसानों से ऋण वापस लेने के लिए कुछ और समय प्रतीक्षा करने को कहें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चन्दन की लकड़ी उपलब्ध है। इस लकड़ी का उपयोग करने के लिए वहां कोई कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। इससे वहां की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

अन्ना डी० एम० के० की ओर से मैं एक बार पुनः प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कल वादविवाद का उत्तर देते समय तमिलनाडु में चुनाव की तिथि की घोषणा करें।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 अप्रैल, 1977 : 15 चैत्र, 1899 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 5th April, 1977/Chaitra 15, 1989 (Saka).

135LSS/77—GIPF.